



**राज्यपाल सचिवालय, बिहार**  
**(जन-सम्पर्क शाखा)**  
**राजभवन, पटना—800022**

**प्रेस—विज्ञप्ति**

संख्या—299/2023

**मौलिक अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों के साथ-साथ मानवीय मूल्यों  
का होना भी आवश्यक है— राज्यपाल**

**पटना, 26 नवम्बर, 2023 :—** माननीय राज्यपाल श्री राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन के दरबार हॉल में संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मौलिक अधिकारों के साथ-साथ मौलिक कर्तव्यों की भी आवश्यकता होती है। परन्तु, मानवीय मूल्यों (Human Values/Fundamental Values) का होना भी अत्यन्त आवश्यक है जिन्हें बरकरार रखने के लिए संविधान की जरूरत होती है। देश, समाज और परिस्थिति के अनुसार मौलिक अधिकारों में भिन्नता हो सकती है, परन्तु मानवीय मूल्य हमेशा एक समान ही रहते हैं।

राज्यपाल ने कहा कि संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारी परम्परा में रही है। उन्होंने बिहार के महिषी में शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच हुए शास्त्रार्थ को इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण बताते हुए कहा कि इसमें असहमति के साथ-साथ सहिष्णुता एवं एक-दूसरे के विचारों के प्रति सम्मान का भाव था। आज हमें इसकी जरूरत है।

उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में इसके निर्माताओं और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की आशाओं और आकांक्षाओं का समावेश है। हमें इसके भाव को समझने की आवश्यकता है।

इस अवसर पर राज्यपाल के नेतृत्व में भारत के संविधान की उद्देशिका का समूह पाठ किया गया तथा उपस्थित महानुभावों ने इसके अनुपालन का संकल्प लिया। उन्होंने संविधान दिवस की शुभकामनाएँ भी दी।

कार्यक्रम को पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री पी०बी० बजंथरी एवं चाणक्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पटना के कुलपति प्रो० फैजान मुस्तफा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर पटना उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशगण, बिहार के मुख्य सचिव सहित राज्य सरकार के विभिन्न पदाधिकारीगण, राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री रॉबर्ट एल० चोंग्थू, राज्यपाल सचिवालय के पदाधिकारीगण एवं कर्मीगण तथा अन्य लोग उपस्थित थे।